[2020] 3 उम. नि. प. 310

# पोपटराव वेंकटराव पाटिल

बनाम

# महाराष्ट्र राज्य और अन्य

[2020 की सिविल अपील सं. 1600]

14 फरवरी, 2020

**मुख्य न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत**

**संविधान, 1950 – अनुच्छेद 133 और 226 – अपील – मामले में तथ्य के प्रश्न अंतर्वलित होना – तथ्य के प्रश्न अंतर्वलित होने के आधार पर याचिका खारिज होना – यदि किसी मामले में, तथ्य के प्रश्न अंतर्वलित हैं तो मात्र इस आधार पर याचिका खारिज करना न्यायोचित नहीं होगा कि इसमें एक मात्र तथ्य के प्रश्न अंतर्वलित हैं क्योंकि जब याचिका खारिज होने से संबंधित पक्षकार के साथ घोर अन्याय, मनमानापन और अयुक्तियुक्तता कारित होती है तो उक्त परिस्थिति में, ऐसे आदेश से सांविधानिक समादेश का अतिक्रमण होता है और किसी भी दशा में, इसे विधिमान्य और विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है ।**

वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी-जिला कलक्टर, सतारा ने वर्ष 2012 में कृष्णा नदी के बालू ब्लॉकों की नीलामी करने के लिए लोक नीलामी का नोटिस जारी किया था । अपीलार्थी ने गेट सं. 956ए, भूखंड सं. 2, ग्राम-रेथारे खुर्द, ताल्लुक-करद में बालू का उत्खनन करने के लिए अपनी बोली प्रस्तुत की थी । उत्खनन की सहमति मात्रा 8500 ब्रास थी । अपीलार्थी की बोली उच्चतर अर्थात् रुपए 59,75,000/- थी इसलिए उसे निविदा अधिनिर्णीत की गई थी । तारीख 3 जनवरी, 2012 को अपीलार्थी ने सरकारी खजाने में नीलामी की रकम का एक-चौथाई (1/4) भाग के रूप में रुपए 15,00,000/- जमा किया । तारीख 16 जनवरी, 2012 को अपीलार्थी ने शेष नीलामी रकम रुपए 44,83,500/- की राशि जमा की थी । अपीलार्थी ने पर्यावरणीय खर्चे के संबंध में रुपए 1,19,500/- और

आयकर के संबंध में रुपए 1,23,085/- भी जमा की थी । इस प्रकार, अपीलार्थी द्वारा बालू ब्लॉक के आबंटन के संबंध में जमा की गई संपूर्ण रकम रुपए 62,26,085/- थी । तथापि, चूंकि उक्त बालू ब्लॉक, विद्यालय से लगभग 100 फीट की दूरी पर था, इसलिए, रेथारे खुर्द ग्राम के ग्रामवासियों द्वारा बालू उत्खनन का विरोध किया गया था । इस प्रकार, यद्यपि, अपीलार्थी ने संपूर्ण रकम जमा कर दी थी फिर भी उसे उक्त बालू ब्लॉक का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ था । इन परिस्थितियों में, अपीलार्थियों ने नीलामी रकम को वापस करने के लिए राजस्व मंत्री, महाराष्ट्र के समक्ष एक अभ्यावेदन किया । इस प्रकार, अपीलार्थी के अभ्यावेदन की जांच करने के लिए कलक्टर सतारा के पास भेजा गया था, कलक्टर सतारा (इसमें के प्रत्यर्थी सं. 2) ने तारीख 11 जून, 2012 के पत्र द्वारा इस संबंध में तहसीलदार, करद से एक रिपोर्ट की ईप्सा की थी । तारीख 15 जून, 2012 को अपीलार्थी के कथन को सर्किल अधिकारी, काले (इसमें के प्रत्यर्थी सं. 5) द्वारा अभिलिखित किया गया था । उसने प्रश्नगत बालू ब्लॉक का पंचनामा भी तैयार किया था जिसमें यह प्रदर्शित था कि बालू ब्लॉक का कब्जा कभी भी अपीलार्थी को नहीं दिया गया था और यह कि उक्त बालू ब्लॉक से बालू का उत्खनन नहीं हुआ था । तहसलीदार, करद-प्रत्यर्थी सं. 4 ने तथ्यात्मक स्थिति को इंगित करते हुए, कलक्टर, सतारा के समक्ष तारीख 9 अगस्त, 2012 को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । उप प्रभागीय अधिकारी, करद-प्रत्यर्थी सं. 3 ने भी तथ्यात्मक स्थिति को पुन: दोहराते हुए तारीख 4 सितम्बर, 2012 को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । यह प्रतीत होता है कि अभिवहन (रास्ते) के समय फाइल खो गई थी और इस प्रकार, यद्यपि, अपीलार्थी को बालू ब्लॉक का कब्जा प्रदान नहीं किया गया था और य़द्यपि, उसने भी कोई बालू उत्खनन नहीं किया था और रकम की वापसी भी उसे नहीं की जा सकी थी । यह प्रतीत होता है कि इसके पश्चात् भी प्राधिकारियों के बीच पत्राचार हुए थे और अंतत:, प्रत्यर्थी सं. 1-राज्य सरकार के डेस्क अधिकारी ने तारीख 25 मार्च, 2014 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा नीलामी रकम वापस करने की ईप्सित प्रार्थना को नामंजूर कर दिया था । अपीलार्थी ने पुन: कई अभ्यावेदन किए थे । चूंकि उसे कोई उत्तर नहीं मिला था, इसलिए, अपीलार्थी उच्च न्यायालय के समक्ष 2017 की

रिट याचिका सं. 8708 फाइल की । जैसा कि, पूर्ववर्ती कथित है, उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा रिट याचिका इस आधार पर ग्रहण करने से इनकार कर दिया था कि इसमें तथ्यों के प्रश्न अंतर्वलित हैं । इससे व्यथित होकर, इस न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की गई । न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – नि:संदेह, साधारणतया, जब याचिका में, तथ्य और विधि के विवादित प्रश्न अंतर्वलित होते हैं तो उच्च न्यायालय संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन याचिका ग्रहण करने में धीमा रहता है । इस प्रकार, यह प्रतीत होता है कि यद्यपि, विचार के लिए जो तथ्य के प्रश्न विवादित हैं फिर भी प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य का विस्तृत वर्णन करना अपेक्षित नहीं है तो उच्च न्यायालय, संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन याचिका ग्रहण करने से निवारित नहीं होगा । तथापि, उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी सर्वांगीण शक्ति का प्रयोग अपवादित परिस्थितियों में करना होता है । उच्च न्यायालय, अन्य उपलब्ध उपचारों के अपवर्जन में ऐसी शक्ति का प्रयोग करने में न्यायोचित है, मात्र तभी जबकि वह यह पाता है कि राज्य या उसके अभिकरण की कार्रवाई मनमाना और अयुक्तियुक्त है और इस प्रकार, संविधान, 1950 के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण होता है । किसी भी दशा में, वर्तमान मामले में, न्यायालय यह पाता है कि मुश्किल से ही तथ्यों का कोई प्रश्न विवादित है । यह विवादित नहीं है कि अपीलार्थी प्रश्नगत बालू ब्लॉक के लिए उच्चतर बोली लगाने वाला था । अपीलार्थी ने रुपए 62,26,085/- की रकम जमा की थी । सर्किल अधिकारी, काले-प्रत्यर्थी सं. 5 द्वारा तैयार पंचनामा से यह स्पष्टत: प्रदर्शित होता है कि अपीलार्थी को न तो प्रश्नगत बालू ब्लॉक का कब्जा दिया गया था न ही उक्त बालू ब्लॉक से बालू का उत्खनन हुआ था । उक्त स्थिति को तहसीलदार, करद-प्रत्यर्थी सं. 5 द्वारा कलक्टर-प्रत्यर्थी सं. 2 के समक्ष प्रस्तुत तारीख 9 अगस्त, 2012 के अपनी रिपोर्ट में दोहराया गया था । उप प्रभागीय अधिकारी, करद-प्रत्यर्थी सं. 3 द्वारा कलक्टर, सतारा को अग्रेषित तारीख 4 सितम्बर, 2012 के अपनी रिपोर्ट में भी उक्त स्थिति की पुष्टि की गई थी । कलक्टर-सतारा द्वारा तहसीलदार और उप प्रभागीय अधिकारी को अग्रेषित तारीख 3 अक्तूबर, 2012 के पत्र के परिशीलन से भी उक्त

स्थिति के बारे में विवादित नहीं है । तथापि, उसने अपीलार्थी द्वारा जमा रकम को वापस करने के लिए अपने कार्यालय के साथ अपीलार्थी की सनद ब्लॉक की मूल फाइल प्रस्तुत करने के लिए अपने अधीनस्थ को निर्देशित किया था । यह प्रतीत होता है कि तत्पश्चात्-सभी प्राधिकारियों जिनमें सर्किल अधिकारी, तहसीलदार, उप-प्रभागीय अधिकारी और कलक्टर सम्मिलित थे, ने यह निष्कर्ष निकाला था कि अपीलार्थी को न तो बालू ब्लॉक का कब्जा सौंपा गया था न ही उक्त बालू ब्लॉक से बालू का उत्खनन हुआ था, कलक्टर की प्रेरणा पर धन वापस करने की मंजूरी के लिए फाइल की प्रक्रिया जारी थी । यह भी प्रतीत होता है कि फाइल अभिवहन (रास्ते) में खो गया था और इस आधार पर अपीलार्थी को धन वापस करने से इनकार कर दिया गया था । इस प्रकार, इन स्वीकृत तथ्यों में, यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को रकम वापस करने से प्रत्यर्थियों की ओर से इनकार करना कल्पना की बात नहीं थी जो अयुक्तियुक्त था । अपीलार्थी को रकम वापस करने से इनकार करने की प्रत्यर्थियों की कार्रवाई, जबकि स्वयं प्रत्यर्थी ही बालू ब्लॉक का कब्जा देने में असफल रहे थे और जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी बालू का उत्खनन नहीं कर सकता था, यह प्राधिकारियों के मनमानेपन की इंतहा थी । इस आधार वाक्य में, हमारा यह निष्कर्ष है कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को वाद फाइल करने से मना करने में न्यायोचित नहीं था । इस अविवादित स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी उच्चतर बोली लगाने वाला होने के बावजूद और नीलामी की संपूर्ण रकम जमा करने के बावजूद, क्योंकि उसे बालू ब्लॉक का कब्जा नहीं दिया गया था जिसके लिए उसे कारण नहीं बताया गया था और वह बालू का उत्खनन नहीं कर सकता था, इसलिए, वह स्वयं द्वारा जमा की गई रकम को पाने का हकदार होगा । (पैरा 5, 6, 7, 8 और 10)

**निर्दिष्ट निर्णय**

| | | पैरा |
|---|---|---|
| [2010] | (2010) 1 एस. सी. सी. 512 : **अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, बीकानेर** बनाम **मोहन लाल** ; | 9 |

[2004] (2004) 3 एस. सी. सी. 553 :

**ए. बी. एल. इंटरनेशनल लि. और एक अन्य**
बनाम **एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ**
**इंडिया लि. और अन्य** । 5

**अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2020 की सिविल अपील सं. 1600.**

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 133 के अधीन अपील ।

**अपीलार्थी की ओर से** सर्वश्री सुधांशु एस. चौधरी, योगेश एस. कोल्टे, महेश पी. शिंदे और प्रशांत पपतराव पाटिल, अधिवक्तागण

**प्रत्यर्थियों की ओर से** सर्वश्री आदित्य ए. पांडे और सचिन पाटिल, अधिवक्तागण

न्यायालय का निर्णय मुख्य न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे ने दिया ।

**मु. न्या. बोबडे** - इजाजत दी गई ।

2. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुना गया ।

3. अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष यह अपील, उच्च न्यायालय, बाम्बे के खंड न्यायपीठ द्वारा 2017 की रिट याचिका सं. 8708 में पारित तारीख 6 अगस्त, 2018 के आदेश से व्यथित होकर फाइल की है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने याचिका ग्रहण करने से इनकार कर दिया था क्योंकि याचिका में तथ्यों का प्रश्न अंतर्वलित था ।

4. वर्तमान अपील में उद्धृत होने वाले संक्षिप्त तथ्य निम्नलिखित हैं :-

प्रत्यर्थी-जिला कलक्टर, सतारा ने वर्ष 2012 में कृष्णा नदी के बालू ब्लॉकों की नीलामी करने के लिए लोक नीलामी की नोटिस जारी किया था । अपीलार्थी ने गेट सं. 956ए, भूखंड सं. 2, ग्राम-रेथारे खुर्द, ताल्लुक-करद में बालू का उत्खनन करने के लिए अपनी बोली प्रस्तुत की थी । उत्खनन की सहमति मात्रा 8500 ब्रास थी । अपीलार्थी की बोली उच्चतर अर्थात् रुपए 59,75,000/- थी इसलिए उसे निविदा अधिनिर्णीत की गई थी ।

तारीख 3 जनवरी, 2012 को अपीलार्थी ने सरकारी खजाने में नीलामी की रकम का एक-चौथाई (1/4) भाग के रूप में रुपए 15,00,000/- जमा किया । तारीख 16 जनवरी, 2012 को अपीलार्थी ने शेष नीलामी रकम रुपए 44,83,500/- की राशि जमा की थी । अपीलार्थी ने पर्यावरणीय खर्चे के संबंध में रुपए 1,19,500/- और आयकर के संबंध में रुपए 1,23,085/- भी जमा की थी । इस प्रकार, अपीलार्थी द्वारा बालू ब्लॉक के आबंटन के संबंध में जमा की गई संपूर्ण रकम रुपए 62,26,085/- थी ।

तथापि, चूंकि उक्त बालू ब्लॉक, विद्यालय से लगभग 100 फीट की दूरी पर था, इसलिए, रेथारे खुर्द ग्राम के ग्रामवासियों द्वारा बालू उत्खनन का विरोध किया गया था । इस प्रकार, यद्यपि, अपीलार्थी ने संपूर्ण रकम जमा कर दी थी फिर भी उसे उक्त बालू ब्लॉक का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ था । इन परिस्थितियों में, अपीलार्थियों ने नीलामी रकम को वापस करने के लिए राजस्व मंत्री, महाराष्ट्र के समक्ष एक अभ्यावेदन किया । इस प्रकार, अपीलार्थी के अभ्यावेदन की जांच करने के लिए कलक्टर सतारा के पास भेजा गया था, कलक्टर सतारा (इसमें के प्रत्यर्थी सं. 2) ने तारीख 11 जून, 2012 के पत्र द्वारा इस संबंध में तहसीलदार, करद से एक रिपोर्ट की ईप्सा की थी ।

तारीख 15 जून, 2012 को अपीलार्थी के कथन को सर्किल अधिकारी, काले (इसमें के प्रत्यर्थी सं. 5) द्वारा अभिलिखित किया गया था । उसने प्रश्नगत बालू ब्लॉक का पंचनामा भी तैयार किया था जिसमें यह प्रदर्शित था कि बालू ब्लॉक का कब्जा कभी भी अपीलार्थी को नहीं दिया गया था और यह कि उक्त बालू ब्लॉक से बालू का उत्खनन नहीं हुआ था ।

तहसलीदार, करद-प्रत्यर्थी सं. 4 ने तथ्यात्मक स्थिति को इंगित करते हुए, कलक्टर, सतारा के समक्ष तारीख 9 अगस्त, 2012 को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । उप प्रभागीय अधिकारी, करद-प्रत्यर्थी सं. 3 ने भी तथ्यात्मक स्थिति को पुन: दोहराते हुए तारीख 4 सितम्बर, 2012 को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । यह प्रतीत होता है कि अभिवहन (रास्ते) के समय फाइल खो गई थी और इस प्रकार, यद्यपि, अपीलार्थी को बालू ब्लॉक का कब्जा प्रदान नहीं किया गया था और यद्यपि, उसने

भी कोई बालू उत्खनन नहीं किया था और रकम की वापसी भी उसे नहीं की जा सकी थी । यह प्रतीत होता है कि इसके पश्चात् भी प्राधिकारियों के बीच पत्राचार हुए थे और अंततः, प्रत्यर्थी सं. 1-राज्य सरकार के डेस्क अधिकारी ने तारीख 25 मार्च, 2014 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा नीलामी रकम वापस करने की ईप्सित प्रार्थना को नामंजूर कर दिया था ।

अपीलार्थी ने पुन: कई अभ्यावेदन किए थे । चूंकि उसे कोई उत्तर नहीं मिला था, इसलिए, अपीलार्थी उच्च न्यायालय के समक्ष 2017 की रिट याचिका सं. 8708 फाइल की । जैसा कि, पूर्ववर्ती कथित है, उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा रिट याचिका इस आधार पर ग्रहण करने से इनकार कर दिया था कि इसमें तथ्यों के प्रश्न अंतर्वलित हैं ।

5. नि:संदेह, साधारणतया, जब याचिका में, तथ्य और विधि के विवादित प्रश्न अंतर्वलित होते हैं तो उच्च न्यायालय संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन याचिका ग्रहण करने में धीमा रहता है । तथापि, यह स्वत: अवरुद्ध करने का एक नियम है और न कि एक पक्का नियम है । ऐसी दशा में, इस न्यायालय ने **ए. बी. एल. इंटरनेशनल लि. और एक अन्य** बनाम **एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. और अन्य**[1] वाले मामले में, निम्नलिखित मत व्यक्त किया है :-

> "19. इसलिए, विधि की उपर्युक्त प्रतिपादना से यह स्पष्ट होता है कि मात्र मुकदमे के पक्षकारों में से एक के द्वारा मामले के तथ्यों के संबंध में विवाद उद्भूत किया जाता है तो संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन न्यायालय ऐसी याचिका को ग्रहण करने के लिए वाद के पक्षकारों की बात मानने के लिए हमेशा ही बाध्य नहीं होता है । गुनवंत कौर [(1969) 3 एस. सी. सी. 769] वाले उपर्युक्त मामले में, इस न्यायालय ने भी इसे विस्तारित करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया है कि एक रिट याचिका में, यदि तथ्यों से अपेक्षित है तो मौखिक साक्ष्य भी लिए जा सकते हैं । यह स्पष्टत: दर्शित करता है कि समुचित मामले में, रिट याचिका में तथ्य के विवादित प्रश्नों के अंतर्वलित होने पर भी रिट याचिका को ग्रहण करने की अधिकारिता होती है और रिट याचिका को ग्रहण

---

[1] (2004) 3 एस. सी. सी. 553.

करने के लिए पूर्ण वर्जन नहीं है, यद्यपि, वे संविदात्मक बाध्यताओं से उद्भूत हुए हैं और/या उनमें तथ्य के कुछ विवादित प्रश्न अंतर्वलित हैं ।"

पूर्वोक्त मामले में, सारांशत: निष्कर्ष निकालते समय, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला है :–

"27. हमारे द्वारा उपर्युक्त चर्चा से, रिट याचिका कायम रखने के लिए निम्नलिखित विधिक सिद्धांत उद्भूत होते हैं –

(क) रिट याचिका, संविदात्मक बाध्यताओं से उद्भूत होने वाले समुचित मामले में, राज्य या राज्य के अभिकरण के विरुद्ध कायम रखे जाने योग्य होता है ;

(ख) मात्र इस कारण से कि विचार के लिए कुछ विवादित तथ्य के प्रश्न उद्भूत हुए हैं वे नियम विषयक के रूप में, सभी मामलों में रिट याचिका ग्रहण करने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकते हैं ;

(ग) रिट याचिका, धन-संबंधी दावे के पारिणामिक अनुतोष अंतर्वलित होने पर भी कायम रखे जाने योग्य होता है ।

28. तथापि, संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका कायम रखने के रूप में आक्षेप ग्रहण करते समय, न्यायालय को इस तथ्य को विवेक में रखना चाहिए कि संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन परमाधिकार रिट जारी करने की शक्ति, सर्वांगीण प्रकृति की है और यह संविधान, 1950 के किसी अन्य उपबंधों द्वारा सीमित नहीं है । उच्च न्यायालय को मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह विवेकाधिकार प्राप्त है कि वह रिट याचिका को ग्रहण करे या नहीं करे । न्यायालय, इस शक्ति का प्रयोग करने में स्वयं अपने ऊपर कतिपय निर्बंधनों को अधिरोपित किए हैं । [देखें : वर्लपुल कारपोरेशन **बनाम** रजिस्ट्रार और ट्रेड मार्क्स (1998) 8 एस. सी. सी. 1] और परमाधिकार रिट जारी करने की उच्च न्यायालय के इस सर्वांगीण अधिकार का

न्यायालय द्वारा अन्य उपलब्ध उपचारों के अपवर्जन के लिए साधारणतया प्रयोग नहीं किया जाता है जब तक कि राज्य या इसके अभिकरण की ऐसी कार्रवाई मनमाना नहीं है और अयुक्तियुक्त नहीं है जिससे कि संविधान, 1950 के अनुच्छेद 14 के सांविधानिक समादेश का अतिक्रमण होता है या अन्य विधिमान्य और विधिसम्मत कारण नहीं है जिसके लिए, न्यायालय उक्त अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए आवश्यक समझता है ।"

6. इस प्रकार, यह प्रतीत होता है कि यद्यपि, विचार के लिए जो तथ्य के प्रश्न विवादित हैं फिर भी प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य का विस्तृत वर्णन करना अपेक्षित नहीं है तो उच्च न्यायालय, संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन याचिका ग्रहण करने से निवारित नहीं होगा । तथापि, उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी सर्वांगीण शक्ति का प्रयोग अपवादित परिस्थितियों में करना होता है । उच्च न्यायालय, अन्य उपलब्ध उपचारों के अपर्वजन में ऐसी शक्ति का प्रयोग करने में न्यायोचित है, मात्र तभी जबकि वह यह पाता है कि राज्य या उसके अभिकरण की कार्रवाई मनमाना और अयुक्तियुक्त है और इस प्रकार, संविधान, 1950 के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण होता है । किसी भी दशा में, वर्तमान मामले में, हम यह पाते हैं कि मुश्किल से ही तथ्यों का कोई प्रश्न विवादित है ।

7. यह विवादित नहीं है कि अपीलार्थी प्रश्नगत बालू ब्लॉक के लिए उच्चतर बोली लगाने वाला था । अपीलार्थी ने रुपए 62,26,085/- की रकम जमा की थी । सर्किल अधिकारी, काले-प्रत्यर्थी सं. 5 द्वारा तैयार पंचनामा से यह स्पष्टत: प्रदर्शित होता है कि अपीलार्थी को न तो प्रश्नगत बालू ब्लॉक का कब्जा दिया गया था न ही उक्त बालू ब्लॉक से बालू का उत्खनन हुआ था । उक्त स्थिति को तहसीलदार, करद-प्रत्यर्थी सं. 5 द्वारा कलक्टर-प्रत्यर्थी सं. 2 के समक्ष प्रस्तुत तारीख 9 अगस्त, 2012 के अपनी रिपोर्ट में दोहराया गया था । उप प्रभागीय अधिकारी, करद-प्रत्यर्थी सं. 3 द्वारा कलक्टर, सतारा को अग्रेषित तारीख 4 सितम्बर, 2012 के अपनी रिपोर्ट में भी उक्त स्थिति की पुष्टि की गई थी । कलक्टर-सतारा द्वारा तहसीलदार और उप प्रभागीय अधिकारी को अग्रेषित तारीख 3 अक्तूबर, 2012 के पत्र के परिशीलन से भी उक्त

स्थिति के बारे में विवादित नहीं है । तथापि, उसने अपीलार्थी द्वारा जमा रकम को वापस करने के लिए अपने कार्यालय के साथ अपीलार्थी की सनद ब्लॉक की मूल फाइल प्रस्तुत करने के लिए अपने अधीनस्थ को निर्देशित किया था ।

8. यह प्रतीत होता है कि तत्पश्चात्-सभी प्राधिकारियों जिनमें सर्किल अधिकारी, तहसीलदार, उप प्रभागीय अधिकारी और कलक्टर सम्मिलित थे, ने यह निष्कर्ष निकाला था कि अपीलार्थी को न तो बालू ब्लॉक का कब्जा सौंपा गया था न ही उक्त बालू ब्लॉक से बालू का उत्खनन हुआ था, कलक्टर की प्रेरणा पर धन वापस करने की मंजूरी के लिए फाइल की प्रक्रिया जारी थी । यह भी प्रतीत होता है कि फाइल अभिवहन (रास्ते) में खो गया था और इस आधार पर अपीलार्थी को धन वापस करने से इनकार कर दिया गया था । इस प्रकार, इन स्वीकृत तथ्यों में, यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को रकम वापस करने से प्रत्यर्थियों की ओर से इनकार करना कल्पना की बात नहीं थी जो अयुक्तियुक्त था । अपीलार्थी को रकम वापस करने से इनकार करने की प्रत्यर्थियों की कार्रवाई, जबकि स्वयं प्रत्यर्थी ही बालू ब्लॉक का कब्जा देने में असफल रहे थे और जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी बालू का उत्खनन नहीं कर सकता था, यह प्राधिकारियों के मनमानेपन की इम्तिहां थी । इस आधार वाक्य में, हमारा यह निष्कर्ष है कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को वाद फाइल करने से मना करने में न्यायोचित नहीं था ।

9. इस न्यायालय ने समय लिया और पुन: यह अभिनिर्धारित किया कि राज्य को एक आदर्श मुकदमेबाज के रूप में कार्य करना चाहिए । इस संबंध में, हम **अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, बीकानेर** बनाम **मोहन लाल**[1] वाले मामले में, इस न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई मताभिव्यक्तियों के प्रति लाभप्रद रूप से निर्दिष्ट कर सकते हैं :-

> "6. इस न्यायालय ने कई बार यह मत व्यक्त किया है कि सरकारों और कानूनी प्राधिकारियों को मॉडल या आदर्श मुकदमेबाज होना चाहिए और उसे मिथ्या, तुच्छ, कष्टदायक, तकनीकी (किन्तु अनुचित) दलीलों को नहीं रखना चाहिए जिससे कि न्याय के रास्ते

---

[1] (2010) 1 एस. सी. सी. 512.

में बाधा उत्पन्न हो । हम इस एवज में कुछ विनिश्चयों के प्रति निर्देश कर सकते हैं ।

7. दिलबाग राय जैरी **बनाम** भारत संघ [(1974) 3 एस. सी. सी. 554 = (1974) एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 89] वाले मामले में, इस न्यायालय ने पी. पी. अबूबकर **बनाम** भारत संघ [(ए. आई. आर. 1972 केरल 103 = आई. एल. आर. (1971) 2 केरल 490 = 1971 केरल ला जर्नल 723 = ए. आई. आर. पृष्ठ सं. 107-08 पैरा 5 = एस. सी. सी. पृष्ठ 562 पैरा 25] वाले मामले में केरल उच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती विनिश्चय में किए गए कथन का अनुमोदन करते हुए, उद्धृत किया है :-

> '25. .....'5' ..... हमारे संविधान के अधीन राज्य की पब्लिक सेक्टर में विस्तृत और विशाल आर्थिक गतिविधियों को दिया गया है और वे अपरिहार्य रूप से प्राइवेट निकायों के साथ विवादों में अंतर्वलित रहे हैं । किन्तु, यह याद रखना चाहिए कि राज्य को किसी भी तरीके से अपने नागरिकों में से किसी के भी विरुद्ध मामले में साधारण पक्षकार के रूप में विजय हासिल करने की कोशिश नहीं करता है, अपितु राज्य के हित में ईमानदार दावों के लिए सारवान् प्रतिरक्षा करता है और कभी तकनीकी मुद्दे या चालाकी से या अनुचित लाभ लेने के लिए न्याय के दायित्व से बचने के लिए कमजोर पक्षकार को हराता नहीं है और साधारण कारण से विधिक उपाय एक अवसर के रूप में उपलब्ध कराता है । राज्य को ईमानदार मुकदमेबाज होना चाहिए और अनैतिक न्यायालयीय सफलता के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए जिससे कि मामले के गुणागुण कमजोर होते हों, सरकार को अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए और प्राइवेट पक्षकारों को न्यायालय में लड़ने से कम करने के लिए विवादों को हमेशा ही समझौता कराने का प्रयास दर्शित करना चाहिए । राज्य द्वारा मुकदमे के खर्चे के और कार्यपालिका के समय को बचाना चाहिए और इसके अभिकरण को इस मामले में किसी भी प्रकार से हिचकिचाहट दर्शित नहीं करना चाहिए क्योंकि बड़े पैमाने पर मुकदमेबाजी की रकम

खर्च होती है जिसमें यह अंतर्वलित होता है कि सकारात्मक और संपूर्ण पॉलिसी जो न्यायालयीय बल परीक्षा में दो तरीकों से वादों की विधियों को नियत करता है जहां युक्तियुक्त समायोजन संभाव्य होते हों और उचित निबंधनों पर लंबित कार्रवाइयों को समाप्त करने का प्रस्ताव भी देना चाहिए जिससे कि सरकार के विधिक सलाह देने वाले को कुछ प्रारंभिक और इस एवज में प्राधिकारियों को प्रयास करना चाहिए । मैं, किसी न्यायिक उपदेश में सम्मिलित नहीं होना चाहता हूं किन्तु, मुकदमेबाजी के बारे में, राज्य की गतिशील राष्ट्रीय पॉलिसी को वर्ष 1957 में कांफरेंस ऑफ लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया में प्रस्तुत किया गया था ।'

8. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट **बनाम** हिमांशू इंटरनेशनल [(1979) 4 एस. सी. सी. 176, पृष्ठ 177, पैरा 2] वाले मामले में निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया था :–

'2. ..... यह समुचित समय है कि सरकारों और लोक प्राधिकारियों को नागरिकों के विधिसम्मत दावों को असफल बनाने के प्रयोजन के लिए तकनीकों अभिवाकों का व्यावहारिक तौर पर अवलंब नहीं लेना चाहिए और वह सब कुछ करना चाहिए जो नागरिकों के लिए ऋजु और उचित हो । निस्संदेह, यदि सरकार या लोक प्राधिकारी तकनीकी अभिवाकों को लेते हैं तो न्यायालय को इसे विनिश्चित करना होता है और यदि अभिवाक् सुआधारित है तो न्यायालय द्वारा इसे कायम रखना पड़ता है । किन्तु, हम यह महसूस करते हैं कि ऐसे अभिवाक् को सरकार या लोक प्राधिकारी द्वारा साधारण तौर पर तब तक नहीं उठाना चाहिए तब तक कि निस्संदेह दावा सुआधारित नहीं है और इसे फाइल करने में विलंब के कारण हैं, ऐसे दावों का विरोध करने के लिए साक्ष्य उपलब्ध नहीं है ।'

9. भाग सिंह **बनाम** चंडीगढ़, संघ क्षेत्र [(1985) 3 एस. सी. सी. 737, पृष्ठ 741, पैरा 3] वाले मामले में, इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि :–

'3. .... राज्य सरकार द्वारा वह सब कुछ करना चाहिए जो नागरिकों के लिए ऋजु और उचित होता है और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जहां तक संभाव्य हो, सिवाय उन मामलों में, जहां कर या राजस्व प्राप्त किया जाता है या बिना विरोध के बरामद किया जाता है या जहां राज्य सरकार अन्यथा अनिवार्य रूप से पूर्वाग्रह नहीं होता है वहां नागिरकों के विधिसम्मत और उचित दावों को असफल करने के लिए तकनीकी अभिवाक् ले सकता है ।'"

10. इस अविवादित स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी उच्चतर बोली लगाने वाला होने के बावजूद और नीलामी की संपूर्ण रकम जमा करने के बावजूद, क्योंकि उसे बालू ब्लॉक का कब्जा नहीं दिया गया था जिसके लिए उसे कारण नहीं बताया गया था और वह बालू का उत्खनन नहीं कर सकता था, इसलिए, वह स्वयं द्वारा जमा की गई रकम को पाने का हकदार होगा ।

11. इन आधार वाक्यों पर अपील मंजूर की जाती है । उच्च न्यायालय द्वारा पारित तारीख 6 अगस्त, 2018 के आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है । प्रत्यर्थियों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपीलार्थी द्वारा जमा की गई संपूर्ण रकम के साथ छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज, उस तारीख से जब अपीलार्थी ने रकम वापस करने के लिए प्रथम बार निवेदन किया था, उद्ग्रहण की तारीख तक वापस करें । खर्चे का कोई आदेश नहीं किया जाता है ।

अपील मंजूर की गई ।

क.